फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर

जयराम बनाम सुरेन्द्र कुमार व अन्य

प्रकरण संख्या : 18/2022 (टी.आई.) दिनांक :

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	30/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र टी.आई. पर सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा [illegible] खण्डेल तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित स्वयं की खातेदारी की भूमि आ.ख.नं. 25/1 रकबा 1.14 हे. खसरा नं. 26 रकबा 18.17 हे. कुल खसरा किता 2 कुल रकबा 19.31 हे. व अप्रार्थी 1,2 की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 162/1857, 241 कुल खसरा किता 2 कुल रकबा 1.11 हे. के संदर्भ में नक्शा दुरुस्ती के आशय का वाद प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार हाल बंदोबस्त कार्यवाही के दौरान प्रार्थी की आराजीयात का रकबा रिकॉर्ड जमाबंदी में रकबा तो पूर्वानुसार सही दर्ज कर दिया गया परन्तु प्रार्थी की भूमि के नक्शा ट्रेस को कम करते हुए अप्रार्थीगण 01, 02 की भूमि के [illegible] बढ़ाकर अंकित कर [illegible] दुरुस्ती बाबत [illegible] प्रस्तुत किया गया है जो लम्बित [illegible] प्रतिवादीगण हैं तथा प्रार्थी अपनी अभिलेखित खातेदारी अनुसार भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है तथा वादपत्र के	

P.T.O.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:18:26 IST
Reason: SelfAttested

जयराम V/s सुरेन्द्र व अन्य
प्र.पत्र सं. 18/2022 (टी.आई.)

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	30/05/25	अन्तर्गत अपेक्षित अनुतोष साक्ष्य का विषय है। जिसके अनुसार मूलवाद का निर्धारण/निस्तारण किया जाना अपेक्षित है। जिसके संदर्भ में कार्यवाही जारी है ऐसी स्थिति में भूमि वादग्रस्त की यथास्थिति कायम रखा जाना वाद बहुलता व अनावश्यक के दृष्टिगत भी उचित व आवश्यक है। जिससे पक्षकारान के वास्तविक हितों व वाद की प्रकृति व स्थिति पर भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण/पक्षों को मूलवाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे ग्राम रवडला तह. आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि खसरा नं. 251 रकबा 1.14 है. खसरा नं. 26 रकबा 18.17 कुल खसरा किता 2 कुल रकबा 19.31 है. तथा भूमि खसरा नं. 162/1857, 241 कुल खसरा किता 2 कुल रकबा 1.11 है. की सीमाओं की यथास्थिति बनाए रखते हुए राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाए रखें।
		अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि मेरे अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के नक्शे में कोई अवैधिक बदलाव नहीं की गई है तथा भूमि का हाल नक्शा ट्रेस नक्शा ट्रेस अनुसार ही तैयार किया गया है। ट्रेस नक्शा एवं हाल नक्शा ट्रेस में कोई परिवर्तन नहीं

P.T.O

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर

जयराम बनाम सुरेन्द्र व अन्य

प्रकरण संख्या : 18/2022 (टी.आई.) दिनांक :

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30/05/25	किया गया है। अपितु अप्रार्थी की भूमि विधिवत प्रक्रिया अनुसार सीमाज्ञान शुदा भूमि है। जिसके संबंध में पत्थरगढ़ी बाबत प्रकरण (प्रा.पत्र) सक्षम न्यायालय में लंबित है। जिसकी प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से वादग्रस्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।	
	हमने उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि मूलवाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा अथवा विभाजन के अनुतोष से भी सम्बन्धित नहीं होकर मात्र नक्शा दुरस्ती के अनुतोष से सम्बन्धित है। जिसके अन्तर्गत तिरमानुसार (प्रदर्शित तिरमानुसार) कब्जा काश्त का भी विवाद नहीं है। जिससे मौके पर पक्षकारान का वास्तविक विवाद भी प्रचलित नहीं है। विवाद मात्र नक्शा दुरस्ती से सम्बन्धित है जो कि साक्ष्य का विषय है। जिसके अनुसार मूलवाद का निर्धारण/निस्तारण किया जाना अपेक्षित है। जिससे समस्त तथ्यों [illegible] प्रकार, मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि की मौकास्थिति कायम रखे जाने से	

P.T.O

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:18:26 IST
Reason: SelfAttested

जयराम V/s सुरेन्द्र कुमार व अन्य
प्रा.पत्र सं. 18/2022

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	30/05/25	पक्षकार विशेष का कोई अहित प्रतीत नहीं है, ना ही पक्षकार विशेष विपरीत रूप से प्रभावित है। अतः तथ्यों, न्याय हित व वादबहुलता के दृष्टिगत उभय पक्षकारान को तावफैसला मूलवाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त ग्राम रन्डल तह. आमेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त भूमि आ.ख.नं. 25/1, 26 कुल खसरा किता 2 कुल रकबा 19.31 हे. आ.ख.नं. 162/1857, 241 कुल खसरा किता 2 कुल रकबा 1.11 हे. की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें तथा विशिष्ट भू भाग का बेचान ना करें। निर्णय सुनाया गया। (पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो) बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Sd/- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:18:26 IST
Reason: SelfAttested